



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-29102025-267251
CG-RJ-E-29102025-267251

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4742]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947

No. 4742]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/KARTIKA 2, 1947

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे)

अधिसूचना

कोटा, 24 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4888(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के रतलाम जिले में नागदा – कोटा सेक्शन के मध्य रतलाम जिले में समपार संख्या 21 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है;

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा; प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उपखंड अधिकारी आलोट, तालुका आलोट, जिला रतलाम को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रकटशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जाँच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा;

उक्त अधिनियम कि धारा 20घ कि उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के रतलाम जिले में नागदा – कोटा सेक्शन के मध्य रतलाम जिले में समपार संख्या 21 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य की विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य : मध्य प्रदेश गाँव : विक्रमगढ़				जिला : रतलाम तालुका : आलोट
क्रमांक	सर्वे न.	भूमि का प्रकार	भूमि का उपयोग	भूमि अर्जन का विस्तार (हेक्टेयर में)
1	835	सरकारी	सड़क	0.0207
2	836	सरकारी	सड़क	0.0116
3	837	सरकारी	सड़क	0.0240
4	846	निजी	कृषि	0.2459
5	851	निजी	कृषि	0.0847
6	852/1	निजी	कृषि	0.1274
7	852/2	निजी	आवासीय	0.0088
8	853	निजी	कृषि	0.0077
9	847	सरकारी	सड़क	0.0407
10	1208	सरकारी	सड़क	0.0631
11	1207/2	निजी	कृषि	0.0048
12	1209	सरकारी	सड़क	0.0211
13	1212	सरकारी	सड़क	0.3677
14	1213/1/2	निजी	कृषि	0.0521
15	1213 PAIKI	सरकारी	सड़क	0.0692
16	1214 PAIKI	सरकारी	सड़क	0.1902
17	1215/1/2	सरकारी	सड़क	0.0945
18	1216/1/1/2	सरकारी	सड़क	0.1532
19	838/1/2/2	निजी	आवासीय	0.0186
20	838/1/2/3	निजी	आवासीय	0.0186
21	838/1/2/4	निजी	आवासीय	0.0186
22	838/1/2/5	निजी	आवासीय	0.0186
23	838/1/2/1	निजी	आवासीय	0.0826
24	850/1/1	निजी	कृषि	0.0390
25	850/1/2/1	निजी	कृषि	0.0815
26	850/1/3/1	निजी	कृषि	0.0970
27	844/1/1	निजी	कृषि	0.0930

28	1215/2	सरकारी	सड़क	0.0235
29	1215/1/1	निजी	कृषि	0.0270
30	1219/3डी	निजी	कृषि	0.0137

[कम्प्यूटर न. 263689 फा. सं. ई.-पमरे-कोटा0जीएसयू2(आरओबी)/2/2024-सीपीएम/ जीएसयू- II/डब्लूसीआर/कोटा]

सौरभ मिश्र, मुख्य परियोजना प्रबंधक, गति शक्ति यूनिट

MINISTRY OF RAILWAYS

(West Central Railway)

NOTIFICATION

Kota, the 24th October, 2025

S.O. 4888(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (here in after referred in as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Nagda – Kota section in Ratlam District Construction of Road Over Bridge on LC No. 21 Project in District Ratlam in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land :

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Divisional Officer Alote , Taluka Alote, District Ratlam, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquire with or without structure falling within, for the Special Railway Project Namely: Nagda – Kota section in Ratlam District Construction of Road Over Bridge on LC No. 21 in District Ratlam in the State of Madhya Pradesh.

State : Madhya Pradesh		District : Ratlam		
Village : Vikramgarh		Taluka : Alot		
S.No.	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area of the Land (in Hectare)
1	835	Government	Road	0.0207
2	836	Government	Road	0.0116
3	837	Government	Road	0.0240
4	846	Private	Agriculture	0.2459
5	851	Private	Agriculture	0.0847
6	852/1	Private	Agriculture	0.1274
7	852/2	Private	Residential	0.0088
8	853	Private	Agriculture	0.0077
9	847	Government	Road	0.0407
10	1208	Government	Road	0.0631

11	1207/2	Private	Agriculture	0.0048
12	1209	Government	Road	0.0211
13	1212	Government	Road	0.3677
14	1213/1/2	Private	Agriculture	0.0521
15	1213 PAIKI	Government	Road	0.0692
16	1214 PAIKI	Government	Road	0.1902
17	1215/1/2	Government	Road	0.0945
18	1216/1/1/2	Government	Road	0.1532
19	838/1/2/2	Private	Residential	0.0186
20	838/1/2/3	Private	Residential	0.0186
21	838/1/2/4	Private	Residential	0.0186
22	838/1/2/5	Private	Residential	0.0186
23	838/1/2/1	Private	Residential	0.0826
24	850/1/1	Private	Agriculture	0.0390
25	850/1/2/1	Private	Agriculture	0.0815
26	850/1/3/1	Private	Agriculture	0.0970
27	844/1/1	Private	Agriculture	0.0930
28	1215/2	Government	Road	0.0235
29	1215/1/1	Private	Agriculture	0.0270
30	1219/3	Private	Agriculture	0.0137

[Computer No. 263689 F. No. E- WCR-KOTA0GSU2(ROB)/2/2024-CPM/GSU-II/WCR/KOTA]

SAURABH MISRA, Chief Project Manager, Gati Shakti Unit